मैसर्स बनाम मस्थान

110/17

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

33/33170

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहकाम हुक्म में जारी |
|---|---|---|
| 4/2/2020 | पत्रावली पेश हुई। वादी/आवेदक तथा प्रतिवादी अनुपस्थित। वादी/आवेदक के द्वारा आपत्ति पत्र जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को पिछले किये जाने का पेश किया एवं कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित भूमि जयपुर ग्राम का है। प्रार्थना पत्र पर राजस्व अभिलेख के अनुसार खातेदार वादी है। पत्रावली पिछले वाद को निरस्त करवाये जाने के सम्बन्ध में पेशकी वाद संख्या 125/2011 (285/2009) पन्नों व अन्य बनाम आवेदक व अन्य में पेश के न्यायालय सीमा अपर जिला न्यायाधीश क्र.1 अजमेर के वाद वादी के पत्रावली पिछले वाद को विधि मानते हुए पेशकी वाद निरस्त वादी दिनांक 8/1/2019 के अनुसार निरस्त किया जा चुका है। ऐसी अवस्था में वर्तमान में वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को चलाने की आवश्यकता नहीं रही है। इस कारण वाद पत्र को पिछले करना चाहते हैं। वादी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के आधार तथ्यों के सम्बन्ध में वाद आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर आदि किये लिखे उनके अधिवक्ता ने प्रस्तुत व अपने हस्ताक्षर आदि करते हुए वाद पत्र पिछले किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाद की कार्यवाही को उसी स्थान पर समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती की जावे। | मि. 324 नाम मोह जमेर Identified by me Plaintiff's Adv. Advocate |

सहायक कलेक्टर (मु.), अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2020.02.05 14:42:43 IST
Reason: SelfAttested